ई-अधियाचन पोर्टल/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-2/2023/180/सामान्य/47/का-4-2023/15/20/95

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 मई, 2023

विषयः- ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से समूह 'ख' एवं 'ग' के रिक्त पदों के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के अधीन समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किये जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु ई-अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है तथा एन0आई0सी0 द्वारा संबंधित विभागों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/2023/415/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 23.03.2023 द्वारा समस्त विभागों/ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को विस्तृत दिशा-निर्देश भी प्रेषित किये गये हैं।

2. ई-अधियाचन पोर्टल के सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-116-सामान्य/47-का-4-2023-15/20/95 दिनांक 29.03.2023 तथा तत्क्रम में निर्गत अनुस्मारक दिनांक 12.04.2023 एवं अनुस्मारक दिनांक 26.04.2023 द्वारा समस्त विभागों से विभागीय नोडल अधिकारी नामित करते हुये निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी का विवरण यथा अधिकारी का नाम, पद नाम, ई-मेल आई0डी0, मोबाइल नं0 कार्मिक विभाग को तथा श्री नवनीत प्रधान तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय तकनीकी विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में दिनांक 02.05.2023 तक प्राप्त सूचना के अनुसार मात्र 38 विभागों/अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों के नोडल अधिकारी के नामांकन की सूचना प्राप्त हुयी

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

है। उक्त विभागों/अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों के यूजर आई0डी0/पासवर्ड तैयार/क्रियाशील करते हुये संबंधित नोडल अधिकारियों के ई-मेल पर उपलब्ध कराया जा चुका है।

3. ई-अधियाचन पोर्टल के संचालन हेतु नोडल अधिकारी के नामांकन तथा आनलाइन अधियाचन भेजे जाने की दिशा में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित न होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर दिनांक 03.05.2023 को अपराहन 6:00 बजे संबंधित विभागों के साथ जूम के माध्यम से आनलाइन बैठक आयोजित की गयी।

4. आप सहमत होंगे कि प्रश्नगत प्रकरण अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा इस संबंध में समस्त विभागों द्वारा अपेक्षित गम्भीरता के साथ त्वरित कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य है तथा इस हेतु समस्त परिधिगत अधिकारियों और संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से समस्त अधियाचन ससमय उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग तथा उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जा सकें। त्रुटि रहित अधियाचन समय से भेजे जाने पर ही चयन की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब की संभावना को कम किया जा सकता है।

5. उपरोक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने की कार्यवाही का कृपया नियमित रूप से अनुश्रवण/समीक्षा करते हुये यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके विभाग से संबंधित अधियाचन समय से प्रेषित किये जा रहे हैं। यह अनुरोध भी है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए-

(1) जिन विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा अभी तक अपने विभाग/कार्यालय के नोडल अधिकारी नामित नही किये गये हैं, उनके द्वारा 03 दिन में विभागीय नोडल अधिकारी नामित करते हुये नोडल अधिकारी का विवरण (निर्धारित प्रारूप में) कार्मिक अनुभाग-4 की ई-मेल आई0डी0 sokarmik4@gmail.com तथा श्री नवनीत प्रधान तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय तकनीकी विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन लखनऊ को उनके ई-मेल आई0डी0 navneet.pradhan@nic.in पर अवश्य ही उपलब्ध करा दिया जाए।

(2) जिन विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनका विवरण प्रेषित किया जा चुका है परन्तु उन्हें यूजर आई0डी0 पासवर्ड नही प्राप्त हुआ है, उक्त विभाग नोडल अधिकरी का विवरण पुनः उक्त बिन्दु संख्या-1 में दिये गये निर्देशानुसार कार्मिक विभाग एवं एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दें। एन0आई0सी0 द्वारा यूजर आई0डी0 पासवर्ड क्रियाशील करते हुये संबंधित नोडल अधिकारी के ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध करा दिया जाए।

(3) अधियाचन आफलाइन मोड में कदापि न भेजे जांए बल्कि ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से ही भेजे जांए। जिन विभागों द्वारा 01.01.2023 से 23.03.2023 तक

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

अधियाचन आफलाइन भेजे गये हैं, उक्त विभाग उक्त अधियाचन का विवरण ई-अधियाचन पोर्टल पर अद्यतन कर दें।

(4) चयन वर्ष 2022-23 हेतु अधियाचन भेजे जाने की कार्यवाही 15 मई 2023 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) चयन वर्ष 2023-24 हेतु अधियाचन भेजे जाने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ससमय अवश्य ही पूर्ण करा ली जाए।

6. ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने में आने वाली आरम्भिक तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु अस्थायी रूप से एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध एन0आई0सी0 से किया गया है, ताकि संबंधित विभाग अपनी तकनीकी समस्याओं का निराकरण करा सकें। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा तथा ई-अधियाचन पोर्टल के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया जा रहा है।

कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपेक्षित गम्भीरता एवं सजगता के साथ कार्यवाही के निर्देश देते हुये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से ससमय अधियाचन भेजा जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-2/2023/180(1)सामान्य/47/का-4-2023/15/20/95

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 प्रयागराज।
2. सचिव, उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
3. वरिष्ठ तकनीकी, उप महानिदेशक, एन0आई0सी/तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर-6 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उ0 प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in